प्रति,

श्रीमान कलेक्टर महोदय,
जिला – बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

विषय : SDM न्यायालय में लंबित अपील प्रकरण में बाबू श्री विनय विश्वकर्मा द्वारा उत्तरवादी से मिलीभगत कर अवैध आदेश तैयार करने, एवं अधिवक्ता के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने के संबंध में शिकायत।

महोदय,

मैं सि. कीर्ति राव पति आशीष अडेसरा, निवासी हेमू नगर, बिलासपुर, एक अपीलकर्ता हूँ। मेरे द्वारा SDM बिलासपुर के समक्ष धारा 44 छ.ग. भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत खसरा नं. 885/5 मौजा जूना बिलासपुर से संबंधित अपील प्रस्तुत की गई है, जिसका पंजीयन मार्च 2025 में हुआ है जिसका प्रकरण क्रमांक 202503072400078 अ-6 2024-25 है। यह प्रकरण पूर्णतः दस्तावेज आधारित है जिसमें –पंजीकृत विक्रय विलेख,नामांतरण पंजी ,डाइवर्शन रिकॉर्ड,ऋण पुस्तिका,पटवारी का प्रतिवेदन,सभी अपीलार्थी / मेरे के पक्ष में हैं। इसके बावजूद, आज दिनांक तक उत्तरवादी मनप्रीत सिंह होरा एक बार भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है और प्रकरण प्रारंभ से ही एकपक्षीय (Ex-parte) स्थिति में है। इसके बावजूद sdm के बाबू विनय विश्वकर्मा द्वारा गंभीर कदाचार किया गया जब मेरे अधिवक्ता न्यायालय की फाइल देखने गए, तब यह तथ्य सामने आया कि:SDM न्यायालय में पदस्थ बाबू श्री विनय विश्वकर्मा द्वारा धारा 5 के आवेदन को खारिज करने हेतु आदेश पहले से ही तैयार कर दिया गया था, जबकि न तो उत्तरवादी उपस्थित हैं और न ही उत्तरवादी की तरफ से कोई बहस या सुनवाई हुई है। यह स्पष्ट करता है कि निर्णय पहले से तय कर लिया गया था। जब मेरे अधिवक्ता ने इस पर आपत्ति जताई और फाइल देखने लगे, तब बाबू विनय विश्वकर्मा ने:जबरदस्ती फाइल छीन ली,अभद्र एवं असभ्य भाषा का प्रयोग किया,और दस्तावेज देखने से रोका ,यह आचरण यह सिद्ध करता है कि उक्त बाबू द्वारा उत्तरवादी से मिलीभगत कर जानबूझकर अपीलार्थी के विरुद्ध आदेश पारित कराने का प्रयास किया जा रहा है। यह आचरण निम्न का उल्लंघन है,छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम,न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता,लोक सेवक के दायित्व,एवं प्रशासनिक पारदर्शिता,ह एक संगठित प्रयास है जिससे,वैध भूमि स्वामी को रिकॉर्ड के माध्यम से वंचित किया जा सके।

अतः श्रीमान कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि –

Kirti Rao

1. बाबू विनय विश्वकर्मा की इस प्रकरण में भूमिका की तत्काल विभागीय जांच कराई जाए।
2. उनके द्वारा तैयार किए गए किसी भी पूर्वनिर्धारित आदेश को निरस्त कराया जाए ।
3. उक्त बाबू को इस प्रकरण से तत्काल हटाया जाए।
4. न्यायालयीन रिकॉर्ड से छेड़छाड़, पक्षपात व अभद्रता के लिए उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक एवं दंडात्मक कार्यवाही की जाए।

अन्यथा अपीलार्थी को गंभीर न्यायिक क्षति होगी।

भवदीय
सि. कीर्ति राव
(अपीलकर्ता)
मोबाइल – .....
दिनांक – .....
स्थान – बिलासपुर

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान राजस्व मंत्री (छ.ग) शासन , अवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. श्रीमान संभाग आयुक्त, बिलासपुर (छ.ग), अवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
3. श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिलासपुर (छ.ग), अवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ हेतु प्रेषित।